एक नजर

युवती को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार

इंदौर। तुकोगंज इलाके की रहने वाली एक 19 साल की लड़की ने शादाब नाम के लड़के के खिलाफ अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने और धमकाने का केस दर्ज कराया है। आरोपी युवक लड़की को उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। मामले की जानकारी युवती के परिजनों तक पहुंची। जिसके बाद शादाब की पिटाई कर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

इंदौर। मूसाखेड़ी में पिछले दिनों एक महिला ने आत्मदाह कर अपनी जान दे दी थी। मामले में बच्चे की स्कूल फीस और प्रबंधन के दबाव की बात सामने आई थी। इधर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। महिला के परिजनों ने पति पर ही प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आजाद नगर टीआई नीरज मेढा के अनुसार इदरीश नगर में रहने वाली अन्नु पति प्रहलाद ने पिछले दिनों आत्मदाह कर अपनी जान दे दी थी। मामले में यह बात सामने आई थी कि उसके बच्चे की स्कूल फीस वह नहीं भर पा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन लगातार दबाव बना रहा है। इधर पुलिस ने अन्नु के परिजनों के बयान लिए तो उन्होंने उसके पति प्रहलाद पिता शंभू सिंह चंद्रावत पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना था कि प्रहलाद छोटी-छोटी बातों के लिए अन्नु को प्रताड़ित करता था इसी से वह आहत थी और उसने जानलेवा कदम उठाया।

ठेला वाले ने युवक को मारा चाकू

इंदौर। सदर बाजार इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सब्जी वाले ने उसे पेट में चाकू घोंप दिया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सदर बाजार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक का नाम रजनीश पिता श्री कृष्ण पांडे निवासी शंकरगंज जिंसी है। फरियादी दिवाकर पांडे की शिकायत पर मामले में प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोपी का नाम राज केसरी निवासी ब्रह्म बाग कॉलोनी है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि मरीमाता पुल के पास वीआईपीरोड के नजदीक मजरूह रजनीश की एक ई रिक्शा वाले से सवारी के पैसों को लेकर कहा सुनी हो गई थी। सामने ही आरोपी राज केसरी का सब्जी का ठेला लगाता है। राज केसरी ने रजनीश को ऑटो वाले से अलग जाकर वाद विवाद की बात कही थी। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई तब आरोपी राज ने सब्जी काटने का चाकू रजनीश के पेट में घोंप दिया।

रिटायर्ड बैंक अधिकारी के यहां सीबीआई छापा

दिल्ली से आई टीम खंगाली प्रॉपर्टी के पेपर्स

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। इंदौर में शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी बालकृष्ण व्यास के घर पर छापा मारा। दिल्ली से आई सीबीआई टीम को बड़े घोटाले का इनपुट मिला है। सीबीआई अधिकारी शुक्रवार अल सुबह ही शहर की पॉश कॉलोनी बसंत विहार में पहुंचे। यहां पहुंचते ही अधिकारियों ने अपना परिचय देकर मोबाइल जब्त कर लिए। सभी के बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं घर के अंदर भी किसी को प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

व्यास बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ थे। सीबीआई कार्रवाई के दौरान उनकी पत्नी घर पर है जबकि एक बेटी मुंबई व एक विदेश में रहती है। मामला एक बड़े घपले का है जिसमें सीबीआई उनके जमीन, जायदाद, मकान, बैंक खाते आदि की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।

चर्च में हिंदूओं के सामने फाड़ी हनुमान चालीसा, छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज

हिंदू संगठन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

इंदौर। शहर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को मां शारदा नगर स्थित चर्च में हिंदूओं के सामने हनुमान चालीसा फाड़ने का मामला सामने आया है। इसमें छह आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब चर्च में हनुमान चालीसा फाड़ने की बात हिंदू संगठन को पता चली तो उन्होंने थाने के बाहर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

पुलिस के मुताबिक, फरियादी राजकुमार सेन ने बताया कि सुबह सात बजे घर के बाहर टहल रहा था, तभी तीन आटो रिक्शा में लगभग 12-13 लोग आए और मुझसे पूछने लगे कि चर्च कहां हैं। उन्होंने बताया कि वे दाहोद से आए हैं। जब चर्च जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सभी चर्च में सिलाई का काम सीखने के लिए जा रहे हैं। उनकी बातों पर संदेह हुआ तो कालोनी में लोगों को यह बात बताई। हम चर्च आ गए, जब हमने अंदर जाकर देखा तो माइकल मैथ्यू निवासी चर्च (शारदा नगर) हाथ में हनुमान चालीसा पकड़े हुए था।

वहां उपस्थित लोगों को कुछ समझाते हुए हनुमान चालीसा फाड़ने लगा, जब हमने हनुमान चालीसा फाड़ने से मना किया तो माइकल मैथ्यू, जोमन जोसेफ, सेम जोसेफ, बैजू बी, अभिषेक नेत्राम, रेखा बोलने लगे कि - केवल बाइबल ही सही है तुम सभी लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लो। इन्होंने भगवान का हनुमान चालीसा हमारे सामने फाड़ा, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

चलती बाइक पर गैरेज संचालक को आया अटैक

चौराहे पर गिरे तो लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में

इंदौर। मल्हारगंज इलाके में गुरुवार को गैरेज से ऑटो पार्ट्स पर सामान लेने निकले गैरेज संचालक को चलती बाइक पर अटैक आ गया। वह सड़क पर बाइक सहित गिर गए। उन्हें उपचार के लिये एमवाय अस्पताल ले जाया गया। यहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है।

मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक घटना अंतिम चौराहे की है। यहां संजय (40) पुत्र शिवनारायण डिडवानिया निवासी इंद्रा नगर अपनी बाइक से गिर गए। उन्हें राहगिरों ने एंबुलेस से अस्पताल भेजा। यहां डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

रिश्तेदारों ने बताया कि संजय अपने घर के यहां गैरेज चलाते थे। गुरुवार दोपहर वह सामान लेने निकले थे। अंतिम चौराहे के यहां उन्हें अचानक सीने में दर्द उठा। वह बाइक सहित गिर गए। संजय के परिवार में उनका एक बेटा ओर बेटी है जो पढ़ाई कर रहे है।

ट्रेन के आगे कूदा जिम ट्रेनर

डायबिटीज होने की जानकारी लगने के बाद डिप्रेशन में था

इंदौर। एक जिम ट्रेनर ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि कुछ समय पहले उसे खुद को डायबिटीज होने का पता चला था। इसके बाद उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

गांधी नगर पुलिस के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग के यहां से उन्हें गुरुवार रात सूचना मिली कि यहां किसी का शव पड़ा है। मृतक के पास से मिले डॉक्यूमेंट के आधार पर उसकी पहचान 25 वर्षीय जितेन्द्रसिंह जादौन निवासी गोमा की फेल के रूप में हुई। वह दोपहर 3 बजे घर से बिना बोले निकल गया था। इसके बाद परिवार को सीधे रात में जानकारी लगी। जितेन्द्र पहले उतरप्रदेश का रहने वाला था। वह यहां नाना-नानी के साथ रहता था। रिश्तेदार चंद्रपाल ने बताया कि कुछ समय पहले उसे शुगर होने की जानकारी लगी तो उसने जिम से भी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद से वह डिप्रेशन में था।

प्रेमी जोड़े ने परिवार के डर से ली हाईकोर्ट की शरण

इंदौर। घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाले नवयुगल के पक्ष में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। शादी के बाद अपने ही परिवार से धमकियां मिलने और जान का खतरा महसूस होने पर प्रेमी जोड़े ने पुलिस, कलेक्टर सहित दर्जन भर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने राहत देते हुए आदेश दिया कि नवयुगल जहां भी रहता हो, जिस थाना क्षेत्र में भी शिकायत करे वहां की पुलिस शिकायत दर्ज करे और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

मामला धार जिले के राजगढ़ निवासी पायल काग (20 वर्ष) पिता संजय काग और करण चौधरी (22 वर्ष)पिता मोहनलाल चौधरी से जुड़ा है। दोनों वहां पर एक ही कॉलोनी में रहते थे और वर्षों से एक-दूसरे को पसंद करते थे। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने 13 दिसंबर 2022 को हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। लेकिन परिवार वालों को यह शादी नागवार गुजरी। लड़का और लड़की दोनों के ही घर वालों ने इसका विरोध किया। जब परिवार वालों ने पायल और करण को समझाने की कोशिश की और वे दोनों नहीं माने तो धमकाना और मार-पिटाई भी शुरू कर दी गई। परिजनों ने प्रेमी जोड़े के दोस्तों तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया।

याचिकाकर्ता पायल और करण के अधिवक्ता तृप्ति सिंघल और सागर मोदी ने बताया कि हमारे याचिकाकर्ता कानूनन बालिग है और उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने के बाद नगर निगम से मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाया।

न्यायालय नायब तहसीलदार कनाडिया जिला इन्दौर म.प्र.

क्रमांक/197/री.तह./2023 इन्दौर, दिनांक : 8/8/23

-:: उद्घोषणा ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक तोसिम पटेल पिता इस्लाम पटेल निवासी खजराना द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बिसनखेडा में स्थित भूमि सर्वे नंबर 56, 64/2 रकबा 0.129, 0.170 हैक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त करने के कारण आवेदक के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आवेदित भूमि पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यदि किसी भी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में पेशी दिनांक 23/8/2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 8/8 /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी ।

नायब तहसीलदार
तहसील कनाडिया, इन्दौर

न्यायालय नायब तहसीलदार कनाडिया जिला इन्दौर म.प्र.

क्रमांक/182/री.तह./2023 इन्दौर, दिनांक : 8/8/23

-:: उद्घोषणा ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक आमीन पटेल पिता यूनूस पटेल द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बिसनखेडा में स्थित भूमि सर्वे नंबर 64/3/1 रकबा 0.034 हैक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त करने के कारण आवेदक के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आवेदित भूमि पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में पेशी दिनांक 23/8 / 2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । आज दिनांक 8/8 /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी ।

नायब तहसीलदार
तहसील कनाडिया, इन्दौर

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

(श्रीमती सपना एम. लोवंशी, अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11)

प्रकरण क्रमांक/0156/बी-121/23-24

क्रमांक/539/अ.क.री.-3/23 इंदौर, दिनांक 10/08/2023

विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु

प्रति,

1. सरिता मथाई पत्नी श्री विलसन मथाई
2. श्री विलसन मथाई पिता श्री के.पी. मथाई

पता: सी.एच. 61, डी.डी.यू. नगर, हीरानगर टेम्पोस्टेण्ड, सुखलिया, इन्दौर

विषय: प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया रकम वसूली हेतु प्रस्तुत प्रकरण में उपस्थिति बाबद् सूचना।

प्रार्थी **इण्डियन ओवरसीज बैंक तर्फे प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय पता-इन्दौर मेन ब्रान्च 169, कारपोरेट हाऊस, यू.जी.एफ., आर.एन.टी. मार्ग इन्दौर** द्वारा निवेदन किया गया है कि **बंधक संपत्ति आवासीय अपार्टमेंट 507, पांचवा फ्लोर, स्टार एवेन्यु ए ग्राम मुण्डलानायता, इन्दौर (कुल क्षेत्रफल 1205 वर्गफीट)** पर बकाया ऋण **राशि 19,21,593/- रु.** का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सपंत्ति का कब्जा सौंपा गया है। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रर्वतन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर **(नवीन प्रशासनिक संकुल मोती तबेला के सामने कक्ष क्रमांक जी-11)** के न्यायालय में **दिनांक 23.08.2023** को **दोपहर 03:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

(श्रीमती सपना एम. लोवंशी, अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11)

प्रकरण क्रमांक/0155/बी-121/23-24

क्रमांक/540/अ.क.री.-3/23 इंदौर, दिनांक 10/08/2023

विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु

प्रति,

1. श्री विलसन मथाई पिता श्री के.पी. मथाई
2. श्रीमती सरिता मथाई पत्नी श्री विलसन मथाई

दोनो का पता: सी.एच. 61, डी.डी.यू. नगर, हीरानगर टेम्पोस्टेण्ड, सुखलिया, इन्दौर

विषय: प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया रकम वसूली हेतु प्रस्तुत प्रकरण में उपस्थिति बाबद् सूचना।

प्रार्थी **इण्डियन ओवरसीज बैंक तर्फे प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय पता-इन्दौर मेन ब्रान्च 169, कारपोरेट हाऊस, यू.जी.एफ., आर.एन.टी. मार्ग इन्दौर** द्वारा निवेदन किया गया है कि **बंधक संपत्ति आवासीय अपार्टमेंट 506, पांचवा फ्लोर, स्टार एवेन्यु ए ग्राम मुण्डलानायता, इन्दौर (कुल क्षेत्रफल 1205 वर्गफीट)** पर बकाया ऋण **राशि 19,08,779.16/- रु.** का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सपंत्ति का कब्जा सौंपा गया है। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रर्वतन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर **(नवीन प्रशासनिक संकुल मोती तबेला के सामने कक्ष क्रमांक जी-11)** के न्यायालय में **दिनांक 23.08.2023** को **दोपहर 03:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी अष्टविनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित डही जिला धार

प्रारूप छ -9

(म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49 ड (3) (क) के अंतर्गत)

पंजीयन क. 1459 दिनांक 8/1/2014

क्रमांक/निर्वा/आमसम्मिलन/2023 दिनांक 11/8/2023

विशेष साधारण सम्मेलन व निर्वाचन की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यो को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन हेतु विशेष साधारण सम्मेलन का आयोजन दिनांक 25/08/2023 को समय दोप. 12.30 बजे स्थान संस्था कार्यालय संस्था कार्यालय अराड़ा रोड डही जिला धार में किया गया है। इस निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन दिनांक 11/08/2023 को किया जाकर सभी सदस्यो को सूचना साधारण डाक से प्रेषित की जा चुकी है। निर्वाचन हेतु नियोजन पत्र प्राप्ति हेतु दिनांक 18/08/2023 को दोप. 1.00 बजे से 3.00 बजे तक स्थान डही नियत है। जबकिं मतदान एवं मतगणना हेतु दिनांक 25/08/2023 को दोप. 1.00 बजे से 5.00 बजे तक स्थान संस्था कार्यालय अराड़ा रोड डही जिला धार नियत किया गया है। यदि किन्ही कारणो से आपको सूचना प्राप्त न हो तो उक्त दिनांक को स्वीकार कर संस्था कार्यालय से विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते है।

प्रबंधक
अष्टविनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित डही

(कै. के जमरे)
रिटर्निंग अधिकारी
अष्टविनायक साख सहकारी संस्था मर्यादित डही

INDIAN OVERSEAS BANK
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

पलासिया शाखा, 55/4, न्यू पलासिया, एसआरएल डायग्नोस्टिक के पास, इन्दौर (म.प्र.)
फोन: 0731- 2431022 एवं 2541021
e-mail- iob2135@iob.in

कब्जा नोटिस

अचल संपत्ति के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 का नियम 8(1)

यथत इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से सूचना प्राप्ति की दिनांक से **60 दिन** की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, पलासिया शाखा, इंदौर** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा ।

ऋणीयों का नाम	सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि ₹
1. श्रीमती उषा कलवानी पति हीरा कलवानी 2. श्री हीरा कलवानी पिता दौलतराम कलवानी	15.04.23 / 10.08.23	अपार्टमेंट नं. 501, पांचवीं मंजिल, गोल्डन टॉवर, प्लाट नं. 15-16, शंकर नगर, इन्दौर (म.प्र.)-450001, **मालिक: श्रीमती उषा कलवानी एवं हीरा कलवानी, क्षेत्रफल:** 1000 वर्गफीट, सुपर बिल्टअप, **चर्तुसीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 14, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 502, **पूर्व:** फ्लेट नं. 503, **पश्चिम:** सड़क	**28,20,279.04** 10.08.2023 के बाद से ब्याज

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 12.08.2023 — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 408900
E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

30-06-2023 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में
(प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2023 अनअंकेक्षित	30-06-2022 अनअंकेक्षित	31-03-2023 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	47151.56	43339.01	197535.00
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	2082.74	1727.09	6064.78
शुद्ध लाभ, (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	2082.74	1727.09	6064.78
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	1562.30	1292.11	4531.69
कुल व्यापक आय, (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	1562.30	1292.11	4523.84
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2225.49	2225.49	2225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मुल्यांकित संचय को छोड़कर)	-	-	15881.91
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	7.02	5.81	20.33
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	7.02	5.81	20.33

टिप्पणियाँ:

उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-06-2023 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एसडी -
अनिल कटारिया, पूर्णकालिक निर्देशक
DIN - 00092730

दिनांक: 11 अगस्त, 2023
स्थान: रतलाम